

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक महोदय उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके चोरी के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा जेल में वितायी गयी अवधि 16 दिवस कारावास व 2000 रु० अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा के दिनांक 25.11.1992 समय 07.00 बजे सुबह अभियुक्त द्वारा बैट्री और जी आई पाइप चोरी कर ले जाने की तहरीरी सूचना पर मु०अ०सं० 373/1992 धारा-379/411 भादवि थाना पीपरपुर पर पंजीकृत कराया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मानीट्रिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप मा० न्यायालय एसीजेएम-तृतीय सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को दिनांक 29.05.2024 को **16 दिवस का कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा ।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को **16 दिवस का साधारण कारावास** ।
- अभियुक्त को **2000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड ना अदा करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास** ।
- दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:

अशोक कुमार सिंह पुत्र राम प्रसाद निवासी भोजपुर रामनगर थाना अन्तु जनपद प्रतापगढ़ ।



एपीओ श्री सिद्धार्थ
श्रीवास्तव



पैरोकार का० जगराम
यादव



@amethipolice



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल अमेठी



#Amethipolice



Amethipolice